Affiliation No. : 2132721

sunshine
PUBLIC SCHOOL

SUNSHINE PUBLIC SCHOOL

An English Medium Co-Educatinal School
Affiliated to C.B.S.E. (New Delhi)

Ref. No. .... Dated 09/05/2023

To,

The Secretry

Central Board Of Secondary Education.

Sir,

In our School Sun Shine Public School Fazalpur tabala Najibabad affiliated from Nursery to VIII th is granted through BSA Bijnor from 01/07/2013.Now after 3 years this affiliation gets updated by it self for which senior director of school Education or Rajya Pariyojana irdeshak Karyalya latter has been attachéd

Thank you

Deepa Mittal

MANAGER
Sun Shine Public School
Fazalpur Tabela, Najibabad

Sun Shine Public School
Fazalpur, Najibabad

Kotwali Road, Fazalpur Tabela, Distt. Bijnor
City Campus : Moh. Nadehind, Near Jain Hospital, Najibabad (Bijnor)
Call :9411833864, 9058384477

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय
समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
वेब-साइट: www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक

राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,

श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांक: रा0प0नि0/ — /2021-22/लखनऊ दिनांक: 8 मार्च फरवरी, 2022

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु-15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत अस्थायी मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी वर्ष में मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

5654/2021-22/लखनऊ/तद्दिनांक

प्रतिलिपि: समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र विद्यालयों के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
1. तकनीकी निदेशक (साइटिस्ट एफ)
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबंधक
सन शाईन पब्लिक स्कूल,फजलपुर तबेला,ब्लाक—नजीबाबाद
जनपद—बिजनौर।

पत्रांक:बेसिक / मान्यता / 2576-90 / 2013-14 दिनांक 01/07/13

विषय:— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से,मैं सन शाईन पब्लिक स्कूल,फजलपुर तबेला,ब्लाक—नजीबाबाद (बिजनौर) को दिनांक 1—7—2012 से दि0 30—6—2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम से कक्षा—नर्सरी से कक्षा—8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचनां देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:—

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम ,2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3 विद्यालय कक्षा—1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में),उस कक्षा मे बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा—विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4 पैरा—3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा।ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खातारखेगा।
5 सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:—
   (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक,किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।
   (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
   (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;
   (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा;
   (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विधार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा;
   (6) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है,पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें;
   (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है,और
   (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो में नियोजित नही करेगें।
7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनाए रखेगा।

27

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–

(1) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–54[illegible] वर्ग मी0

(2) कुल निर्मित क्षेत्र–355.14 वर्ग मी0

(3) क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल–खेल का मैदान उपलब्ध है।

(4) कक्षाओं की संख्या–16

(5) प्राध्यापक–सह कार्यालय–सह भंडागार के लिए कक्ष–03

(6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–उपलब्ध है।

(7) पेयजल सुविधा–उपलब्ध है।

(8) मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई–योजना लागू नही है।

(9) बाधा रहित पहुँच–है।

(10) अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता–उपलब्ध है।

9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।

10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।

11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12 स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या.....[illegible]............है।कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण,यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

01.07.12

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

पृ0सं0बेसिक/ /2013–14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0,शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।

2–सचिव,उ0प्र0,बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।

3–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),द्वादश मण्डल,मुरादाबाद।

4–जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,जनपद–बिजनौर।

5–संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी,जनपद–बिजनौर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

भारती अग्रवाल